3A

उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग–1
संख्या 991 /IV(1)2012-20 (आश्वा0) 2004
देहरादून, दिनांक 02 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर, 2012

## कार्यालय–ज्ञाप

विषयः **छठे केन्द्रीय वेतनमान की संस्तुतियों के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य की स्थानीय निकायों के अकेन्द्रीयित सेवा के कार्मिकों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति लाभों हेतु दिनांक 1–1–2006 को अथवा इसके पश्चात् सेवानिवृत्त सेवकों को पेंशन/ग्रेच्युटी/पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण की प्रक्रिया में संशोधन।**

उपरोक्त विषयक **'उत्तराखण्ड नगरपालिका अकेन्द्रीयित सेवानिवृत्ति लाभ (संशोधन) विनियमावली, 2011'** के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि पालिका अकेन्द्रीयित सेवा के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन ग्रेच्युटी एवं पेंशन राशिकरण के नियमों एवं दरों को निम्न प्रकार संशोधित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। यह आदेश दिनांक 01–01–2006 से प्रभावी समझे जायेंगे तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पेंशन का पुर्ननिर्धारण/समायोजन किया जायेगा।

2– यह आदेश पालिका अकेन्द्रीयित सेवा के सभी पेंशनरों तथा पारिवारिक पेंशनरों पर (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अकेन्द्रीयित सेवानिवृत्ति लाभ विनियमावली, 1984 एवं उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अकेन्द्रीयित सेवानिवृत्ति लाभ विनियमावली,1984) (संशोधन) विनियमावली, 2007 के अर्न्तगत स्वीकृत पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं) लागू समझे जायेंगे। यह आदेश अशक्तता पेंशन तथा असाधारण पेंशन नियमावली(गैर सरकारी व्यक्तियों की असाधारण पेंशन को छोड़कर) के अर्न्तगत पेंशन पाने वाले पेंशनरों पर भी लागू समझे जायेंगे।

3– (1) इस आदेश के अधीन की जा रही व्यवस्थाएं उन कर्मचारियों पर लागू होगीं जो दिनांक 01–01–2006 को अथवा इसके पश्चात् सेवा में रहते हुए दिवंगत हुए है।

(2) जिन पालिका अकेन्द्रीयित सेवकों के मामले में दिनांक 01–01–2006 को अथवा उसके उपरान्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन/मृत्यु एवं सेवानिवृत्तिक ग्रेच्युटी का निर्धारण/भुगतान किया जा चुका है, का पुनरीक्षण, इस आदेश में निहित प्रक्रिया के अधीन किया जायेगा। यदि इस आदेश में निहित व्यवस्था के

अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण पेंशनर्स के लिए लाभप्रद न हो, तो उन प्रकरणों में ऐसा पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा।

4— **(1)परिलब्धियॉ**—पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों(सेवानिवृत्तिक/डेथ ग्रेच्युटी को छोड़कर) की गणना हेतु परिलब्धियों से तात्पर्य उस वेतन से है, जैसा कि वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–2, भाग 2–4 के मूल नियम 9(21)(1) में परिभाषित है और जिसे कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि के ठीक पूर्व अथवा मृत्यु की तिथि को प्राप्त कर रहा था।

**(2)वेतन**—का आशय पालिका अकेन्द्रीयित सेवा के कार्मिकों के दिनांक 01–01–2006 से पुनरीक्षित किये गये निर्धारित वेतन बैंड में अनुमन्य वेतन तथा लागू ग्रेड–वेतन का योग होगा, जिसमें विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन एवं अनुमन्य अन्य प्रकार का वेतन सम्मिलित नहीं होगा।

(3) सेवानिवृत्तिक/डेथ कम ग्रेच्युटी की गणना हेतु सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि का अनुमन्य मंहगाई भत्ते को सम्मिलित किया जाएगा।

5— **पेंशन**—पेंशन की गणना पूर्व की भांति औसत परिलब्धियों के 50 प्रतिशत के आधार पर की जाएगी, परन्तु न्यूनतम पेंशन की धनराशि रूपये 3500 प्रतिमाह तथा अधिकतम धनराशि पालिका अकेन्द्रीयित सेवा के अधिकतम वेतन के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। पालिका अकेन्द्रीयित सेवा की पेंशन की दरों के संबंध में पूर्व में की गयी व्यवस्था उक्तानुसार संशोधित समझी जाएगी।

यदि कोई सेवक एक से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो समस्त पेंशन की धनराशि को जोड़कर न्यूनतम रूपये 3500/— से कम न हो, का आगणन किया जाय तब न्यूनतम पेंशन रूपये 3500/— निर्धारित की जाएगी।

6— **पेंशन की अनुमन्यता हेतु अर्हकारी सेवा—**

(1) 10 वर्ष से कम की अर्हकारी सेवा होने पर पेंशन अनुमन्य नहीं होगी तथा ऐसी स्थिति में पूर्व की भांति केवल सर्विस ग्रेच्युटी अनुमन्य होगी।

(2) पूर्ण पेंशन हेतु पूर्व निर्धारित सेवा की अर्हता को घटाकर अब 20 वर्ष की सेवा पर पूर्ण पेंशन तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य होगी।

(3) 20वर्ष या इससे अधिक की सेवा पर अंतिम आहरित वेतन या 10 माह की औसत परिलब्धियॉ जो भी कर्मचारी को लाभकारी हो, के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन अनुमन्य होगी। जिन अकेन्द्रीयित सेवा के सेवकों ने पुनरीक्षित वेतनमान को वरण करने का विकल्प दिया है, उनके लिए भी उक्त व्यवस्था समान रूप से लागू होगी।

(4) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर, सेवानिवृत्ति हेतु अवशेष सेवा अथवा अधिकतम पांच वर्ष जो भी कम हो, की सेवा जोड़ने की व्यवस्था अब समाप्त की जा रही है।

(5) 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण होने पर ही अर्ह सेवा 20 वर्ष के औसत में पेंशन का आगणन किया जाय।

7— सेवानैवृत्तिक ग्रेच्युटी/मृत्यु ग्रेच्युटी—सेवानैवृत्तिक ग्रेच्युटी/मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम धनराशि की सीमा रूपये 10.00 लाख (रूपये दस लाख मात्र) से अधिक नहीं होगी। इस विषय में अधिकतम अवधि 33 वर्ष में प्रति वर्ष 15 दिन का मानक पूर्ववत् रहेगा।

8— पारिवारिक पेंशन—

(1) पारिवारिक पेंशन की गणना अन्तिम आहरित वेतन के 30 प्रतिशत की दर पर सामान्य रूप से की जाएगी। पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम धनराशि रूपये 3500/— प्रतिमाह होगी तथा अधिकतम राशि पालिका अकेन्द्रीयित सेवा के अधिकतम वेतन के 30 प्रतिशत तक सीमित होगी। इस सन्दर्भ में पारिवारिक पेंशन की दरों से संबंधित व्यवस्था दिनांक 1—1—2006 से तद्नुसार संशोधित समझी जाएगी। दिवंगत हुए अकेन्द्रीयित सेवा के सेवकों के प्रकरण में अन्य प्रक्रियाओं को यथावत् रखते हुए बढ़ी दर पर पारिवारिक पेंशन अब 7 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष पर अनुमन्य होगी। उक्त व्यवस्था शासनादेश निर्गत किये जाने की तिथि से लागू होगी।

(2) पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता हेतु परिवार की परिभाषा पूर्ववत् निम्नलिखित होगी—

(क) दिनांक 01—01—2006 के पूर्व की व्यवस्था के अधीन परिवार की परिभाषा निम्न प्रकार निर्धारित है —

(1) पत्नी/पति

(2) मृत्यु के दिन 25 वर्ष की आयु से कम के पुत्र को इस प्रतिबन्ध के साथ कि यदि वह जीविकोपार्जन करने लगे तो जीविकोपार्जन की तिथि अथवा 25 वर्ष की आयु तक जो पहले हो।

(3) अकेन्द्रीयत सेवा के पेंशनभोगियों की अविवाहित पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य होगी :—

(i) अविवाहित पुत्रियों को अन्य शर्तें पूरी कर लिए जाने के शर्त के अधीन पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र बनाया जाए।

(ii) अविवाहित पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन की सहमति उनकी जन्मतिथि के क्रमानुसार दी जाएगी और उनमें से छोटी पुत्री तब तक—पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र नहीं होगी जब तक कि उससे अगली पुत्री पारिवारिक पेंशन के लिए अपात्र नहीं ठहरायी जाती।

(iii) 25 वर्ष से बड़ी आयु की अविवाहित पुत्रियॉं केवल तभी पारिवारिक पेंशन की पात्र होंगी जबकि 25 वर्ष से कम आयु के अन्य पात्र बच्चे, पारिवारिक पेंशन

ग्रहण करने के लिए पात्र नहीं रहे हों और यह कि परिवार में पारिवारिक पेंशन ग्रहण करने के लिए कोई निःशक्त संतान नहीं है।

विकलांग तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त सन्तानों पर आयु का बन्धन नहीं है तथा सम्बन्धित आदेश के प्रतिबन्धों के अधीन पारिवारिक पेंशन पाने के पात्र होंगे। दिनांक 01–01–2006 से विधवा एवं तलाकशुदा पुत्री को भी परिवार में सम्मिलित माना जाएगा। दिनांक 01–01–2006 से यह भी व्यवस्था की जाती है कि यदि स्वर्गीय सेवक के परिवार में उसकी पत्नी तथा उपुर्यक्त वर्णित श्रेणी की पात्र सन्तान नहीं है, तो उसके माता/पिता जो उस पर पूर्ण रूप से आश्रित थे, को उसके परिवार में सम्मिलित समझा जायेगा। पूर्णयता आश्रित होने पर जीविकोपार्जन से सम्बन्धित मासिक आय के संबंध में स्पष्टीकरण अलग से जारी किया जाएगा और तब तक पूर्व मासिक आय की व्यवस्था यथावत् लागू रहेगी।

9– **पेंशन के एक भाग का राशिकरण–** पेंशन के एक निर्धारित भाग अर्थात 40 प्रतिशत तक की धनराशि की संशोधित दरों पर अनुमन्य होगा। राशिकरण की व्यवस्था दिनांक 01–01–2006 से लागू न होकर तत्काल प्रभाव से कार्यालय–ज्ञाप निर्गत किये जाने की तिथि से लागू होगी। कार्यालय– ज्ञाप निर्गत होने की तिथि से पूर्व जो राशिकरण कर दिया गया उसका पुनरीक्षण/वसूली नहीं की जायेगी, परन्तु यदि वर्तमान में कोई 40 प्रतिशत की सीमा से पुनः राशिकरण कराना चाहता है तो वर्तमान दरों पर ही राशिकरण किया जाय।

10– इन आदेशों के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि पर मंहगाई राहत की गणना राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशानुसार की जाय।

11– 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को दिनांक 01–01–2006 से अनुमन्य पेंशन पर निम्नानुसार अतिरिक्त पेंशन कार्यालय–ज्ञाप निर्गत होने की तिथि से अनुमन्य कराया जायः–

| पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स की आयु | पेंशन में वृद्धि |
|---|---|
| 80 वर्ष से 85 वर्ष से कम तक | मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 20 प्रतिशत |
| 85 वर्ष से 90 वर्ष से कम तक | मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 30 प्रतिशत |
| 90 वर्ष से 95 वर्ष से कम तक | मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 40 प्रतिशत |
| 95 वर्ष से 100 वर्ष से कम तक | मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 50 प्रतिशत |
| 100 वर्ष या अधिक | मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 100 प्रतिशत |

उपरोक्तानुसार अतिरिक्त पेंशन का भुगतान करने हेतु पेंशन वितरण प्राधिकारी द्वारा पेंशन प्राधिकार पत्र में अनिवार्य रूप से पेंशन/पारिवारिक पेंशनर्स की अतिरिक्त पेंशन का अलग से उल्लेख किया जायेगा तथा पारिवारिक पेंशनर्स द्वारा अपनी आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण आदि पेंशन स्वीकृताधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। पेंशन स्वीकृत करने वाले पेंशन प्राधिकार पत्र में मूल पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स की आयु की प्रविष्टि तत्काल प्रभाव से प्रारम्भ करेंगें।

12– दिनांक 01–01–2006 से पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर आगणित पेंशन एवं ग्रेच्युटी की दिनांक 31–10–2012 तक की देयता का 40 प्रतिशत 2012–13 तथा 60 प्रतिशत 2013–14 को नगद भुगतान किया जायेगा।

13– दिनांक 01 जनवरी, 2006 के बाद सेवा त्यागने/कर्मचारी की मृत्यु होने के प्रकरणों में नगद भुगतान किया जाय।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 194(A)/XXVII(7)/2012 दिनॉक 18 अक्टूबर, 2012 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्नकः–(1) राशिकरण आगणन तालिका।

(डॉ0 उमाकांत पंवार)
सचिव।

संख्याः–991/IV(1)2012–20(आश्वा0) 2004 एवं तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय भवन माजरा, देहरादून।
2. सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन
3. आयुक्त गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून/हरिद्वार/हल्द्वानी– काठगोदाम।
8. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तराखण्ड।
9. वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राधिका झा)
अपर सचिव।

35

उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग–1
संख्या 941 /IV(1)/03 (न0वि0)/2001
देहरादूनः दिनांक 02 नवम्बर, 2012

**शुद्धि–पत्र**

नगर निगम, देहरादून के अकेन्द्रीयित सेवा के सेवानिवृत्त कार्मिकों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी एवं राशिकरण की प्रक्रिया में पुनरीक्षण हेतु शासनादेश संख्या–266/IV(1)/03 (न0वि0)/2001 दिनांक 29 जून, 2012 जिसके द्वारा दिनांक 01.01.2006 को अथवा इसके पश्चात् सेवानिवृत्त कार्मिकों हेतु सेवानिवृत्त लाभों का पुनरीक्षण किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 01.01.2006 से पूर्व के सेवानिवृत्त कार्मिकों के सेवानिवृत्त लाभों का भी पुनरीक्षण किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः–

| वर्तमान प्राविधान | | संशोधित प्राविधान |
|---|---|---|
| **विषय** | नगर निगम, देहरादून के अकेन्द्रीयित सेवा के **दिनांक 01.01.2006 को अथवा इसके पश्चात** सेवानिवृत्त कार्मिकों की पेंशन/ पारिवारिक पेंशन / ग्रेच्युटी एवं राशिकरण की प्रक्रिया में संशोधन के संबंध में। | नगर निगम, देहरादून के अकेन्द्रीयित सेवा के **दिनांक 01.01.2006 से पूर्व अथवा इसके पश्चात** सेवानिवृत्त कार्मिकों की पेंशन / पारिवारिक पेंशन / ग्रेच्युटी एवं राशिकरण की प्रक्रिया में संशोधन के संबंध में। |
| **प्रस्तर–2(क)** | इस आदेश के अधीन की जा रही व्यवस्थाए उन कर्मचारियों पर लागू होंगी **जो 01.01.2006 को अथवा** सेवा में रहते हुए दिवंगत हुए हैं। | इस आदेश के अधीन की जा रही व्यवस्थाए उन कर्मचारियों पर लागू होंगी **जो 01.01.2006 से पूर्व अथवा इसके पश्चात्** सेवा में रहते हुए दिवंगत हुए हैं। |
| **प्रस्तर–2(ख)** | जिन सेवकों के मामले में **दिनांक 01.01.2006 को अथवा उसके उपरान्त** पेंशन/पारिवारिक पेंशन/मृत्यु एवं सेवानिवृत्तिक ग्रेच्युटी का भुगतान किया जा चुका हो, का पुनरीक्षण इस आदेश में निहित व्यवस्था के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण पेंशनरों के लिए लाभप्रद न हो, तो ऐसे प्रकरणों में पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा। | जिन सेवकों के मामले में **दिनांक 01.01.2006 से पूर्व अथवा उसके उपरान्त** पेंशन/पारिवारिक पेंशन/मृत्यु एवं सेवानिवृत्तिक ग्रेच्युटी का भुगतान किया जा चुका हो, का पुनरीक्षण इस आदेश में निहित व्यवस्था के अधीन पेंशन /पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण पेंशनरों के लिए लाभप्रद न हो, तो ऐसे प्रकरणों में पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा। |

badoni

2— उक्त शासनादेश को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए। शासनादेश संख्या—266/IV(1)/03 (न0वि0)/2001 दिनांक 29 जून, 2012 की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगें।

डा0उमाकान्त पंवार
सचिव।

**प्रतिलिपि**—निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1—निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2—आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौडी।
3—जिलाधिकारी, देहरादून।
4—निदेशक, कोषागार एवं वित्तीय सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5—मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून।
6—निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
7—गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(सुभाष चन्द्र)
उप सचिव।

badoni

3

उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग–1,
संख्या:– /IV(1)2012–20(आश्वा0)2004
देहरादून, दिनांक 2, ~~अक्टूबर~~ नवम्बर, 2012

## कार्यालय–ज्ञाप

**विषय:– छठे केन्द्रीय वेतनमान की संस्तुतियों के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य की स्थानीय निकायों की अकेन्द्रीयित सेवा के दिनांक 01–01–2006 के पूर्व के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण किया जाना।**

उपरोक्त विषयक **'उत्तराखण्ड नगरपालिका अकेन्द्रीयित सेवानिवृत्ति लाभ (संशोधन) विनियमावली, 2011'** के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय छठे केन्द्रीय वेतनमान के कम में दिनांक 01–01–2006 से पूर्व के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को दिनांक 31–12–2005 को प्राप्त हो रही पेंशन में 40% प्रतिशत अधिभार देते हुए दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षित की जाये।

2. पेंशन का निर्धारण इस प्रकार किया जाये कि दिनांक 01–01–2006 से लागू वेतनमान में वेतनबैण्ड के न्यूनतम तथा वेतन पुनरीक्षित होने के ठीक पूर्व जिस पद पर कर्मचारी ने कार्य किया हो, अनुमन्य ग्रेड पे को जोडकर न्यूनतम 50% से कम पेंशन निर्धारित न हो, अर्थात दिनांक 01–01–2006 के पूर्व के पद के वेतनमान को दिनांक 01–01–2006 के समतुल्य बेण्ड पे के न्यूनतम तथा ग्रेड पे का 50% पद का न्यूनतम पेंशन अर्ह होगी परन्तु ऐसे प्रकरणों में अर्ह सेवा का अनुपात आंगणित करना आवश्यक होगा।

3. दिनांक 01–01–2006 से पुनरीक्षित पेंशन की समेकित धनराशि में से पूर्व से राशिकरण की धनराशि घटाने के बाद भुगतान किया जाये।

4. दिनांक 01–01–2006 से पुनरीक्षित पेंशन किये जाने के फलस्वरूप पेंशन की अधिकतम धनराशि ₹ 40,000/– तथा सामान्य स्थिति में पारिवारिक पेंशन ₹ 24,000/– तक की अनुमन्यता होगी।

5. जिन पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स की आयु 80 वर्ष या उससे अधिक हो गयी है, उन्हें निम्नलिखित तालिका के अनुसार अतिरिक्त पेंशन अनुमन्य होगी:–

| पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स की आयु | मूल पेंशन के अतिरिक्त अनुमन्य पेंशन | |
|---|---|---|
| 80 वर्ष से 85 वर्ष से कम तक | पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का | 20 % |
| 85 वर्ष से 90 वर्ष से कम तक | " " | 30 % |
| 90 वर्ष से 95 वर्ष से कम तक | " " | 40 % |
| 95 वर्ष से 100 वर्ष से कम तक | " " | 50 % |
| 100 वर्ष या अधिक | " " | 100 % |

6. दिनांक 01–01–2006 के पूर्व पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स की न्यूनतम धनराशि ₹ 1275/– को पुनरीक्षित कर ₹ 3500/– किया जाये परन्तु ऐसे पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स

जिन्हें एक से अधिक पेंशन अनुमन्य है, के प्रकरण में न्यूनतम पेंशन निर्धारण हेतु सभी अनुमन्य पेंशन की धनराशि को संज्ञान में लिया जाये।

7. उपरोक्त पुनरीक्षित पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशन का लाभ तत्काल प्राप्त हो जाये, के लिये सम्बन्धित संवितरण अधिकारी द्वारा समयबद्ध कार्यवाही की जाये।

8. सम्बन्धित संवितरण अधिकारी यह भी सुनिश्चित् करेंगें कि यदि किन्हीं कारणों से किसी पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग के क्रम में राज्य सरकार के निर्देशानुसार नहीं किया गया हो तब प्रथमतः वरियता के क्रम में नियमों के अधीन दिनांक 01-01-1996 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन को पुनरीक्षित करें, उसके बाद छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग के क्रम में केन्द्र सरकार में लागू संशोधित पेंशन तथा तत्क्रम में राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार पेंशन पुनरीक्षित की जाये। दिनांक 01-01-2006 या उसके बाद सेवानिवृत्त/दिवंगत /सेवा छोडने वाले कर्मचारियों हेतु पेंशन का निर्धारण शासनादेश संख्याः-991 /IV(1)2012-20(आश्वा0) 2004 दिनांक 02, नवम्बर, 2012 के अनुसार किया जाये।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 194/XXVII(7)/2012 दिनॉक 18 अक्टूबर, 2012 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

(डॉ0 उमाकांत पंवार)
सचिव।

**संख्याः-990 /IV(1)2012-20(आश्वा0) 2004 एवं तद्दिनांक**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-**

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय भवन माजरा, देहरादून।
2. सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन
3. आयुक्त गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवायें, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून/हरिद्वार/हल्द्वानी-काठगोदाम।
8. अधिशासी अधिकारी, समस्त नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत,उत्तराखण्ड।
9. निदेशक एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राधिका झा)
अपर सचिव।